न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 59 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट बनाम रेस्पोडेंटगण

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. रावताराम पुत्र खुशालाराम जी 2. गोविन्दराम पुत्र तुलसाराम जी सभी जाति सुथार निवासी बिजलीया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर	1. मदनसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी विजलीया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 2. जोगाराम पुत्र तुलसाराम जाति सुथार निवासी विजलीया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रवंधक एसबीआई वैंक एडीवी सिवाना 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 102 / 2019 बअनवान मदनसिंह बनाम रावताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06. 11.2020 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री कपिल श्रीमाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—20.11.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 203 / 73 रकबा 3.5612 हैक्टयर सरहद मौजा बिजलीया में आवागमन हेतु बदिशा उत्तर में स्थित विप्रार्थी गण के खेत खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

संख्या 245/58 व खसरा संख्या 58 के माठ के किनारे होते हुए राजस्व कटाण मार्ग तक रास्ता जाता है जो प्रार्थी के खेत में आवागमन का एक मात्र रास्ता है जो विप्रार्थी के खातेदारी खेत के पूर्वी माठ होते हुए राजस्व कटाण मार्ग तक जाता है जिस पर से होकर प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी चलते आ रहे थे मगर वर्तमान में विप्रार्थीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है। इसलिए प्रार्थी के आवागमन हेतु उपरोक्त रास्ता 12 फीट चौड़ाई में दिलवाया जाकर रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट के माफिक ए से बी रास्ता दिलवाने हेतु प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर सवार द्वारा की गई तामिली रिपोर्ट सीपीसी के प्रावधानों के विपरित होने से स्वीकार करने योग्य नहीं है। सवार द्वारा नोटिस प्रार्थीगण से मिलावट कर चस्पानगी रिपोर्ट पेश की जिसमें सवार द्वारा किसी रोज अपीलांटगण के घर पर गया ऐसी कोई तारीख व समय इत्यादि अंकित नहीं है साथ ही जिन व्यक्तियों के रूबरू उपरोक्त नोटिस चस्पा होना बताया दोनों ही व्यक्ति प्रार्थी मदनसिंह के रिश्तेदार होने से उपरोक्त रिपोर्ट मिलावटी एवं एकपक्षीय थी। मौके पर उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 281/58 रास्ते के रूप में मौजूद है जिसे पुष्कर पोटलिया व अन्य पाड़ौसी खातेदार द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवागमन के रूप में उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है मगर रेस्पोडेंटस द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छुपाया गया है जिससे भी रेस्पोडेंटस द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र हकीकी तथ्यों को छुपाकर पेश जाने से रेस्पोडेंट के पक्ष में पारित एकपक्षीय आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। इसके अलावा रेस्पोडेंटस मदनसिंह के खातेदारी खेत की भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 204/73 के खातेदार की भूमि में से भी रास्ता दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विप्रार्थीगण/अपीलांटस का जबाव लिये बिना व अपीलांटगण की बहस को सुने बिना पुरानी मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशों का पालन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। आर आई ने मौका रिपोर्ट उतरदाता संख्या 01 से मिली भगत कर एकपक्षीय रूप से तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः-RRT 2010(2) Pag 1239

RRT 2016-17(Supp.) Page 597
RRT 2018(1) Page 218
RRT 2022-23(Supp.) Page 451
RRT 2023(2) Page 1165
RRT 2023(1) Page 490

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम जारी सम्मन पर पर्याप्त तामील करवाई गई उसके बावजूद जानबुझकर अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपिस्थति नहीं हुए है। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से निकटतम/सुगम वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांटस अधिवक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में पेश न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अवलोकन किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 102/2019 बअनवान मदनसिंह बनाम रावताराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि उतरदाता की खातेदारी में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर